संख्या–679/XVI/05/7(34)/05

प्रेषक,

मनीषा पंवार
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
रेशम
प्रेमनगर,देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–2 देहरादूनः दिनांक 10 जून,2005

विषयः–वित्तीय वर्ष 2005–06 में आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के कियान्वयन हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–517/रेशम/तक0 अनु0/बजट/2005–06 दिनांक 26 अप्रैल, 2005 के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में जनजातीय क्षेत्र उप योजना (टी0 एस0 पी0) की योजनाओं के कियान्वयन हेतु अवचनबद्ध मदों में रूपयें–895हजार (रूपये आठ लाख पिचानब्बे हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु संलग्न विवरणानुसार आपके निर्वतन/आवंटन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1–इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा।

2–उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–527–A/XXVII(1)/2005/दिनांक 26,अप्रैल 2005 में दिये गये निर्देशो, शासन से समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों तथा बजट मैनुअल के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3–किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रकिया(स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4–अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

5–निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक के आगणन/पुर्नरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

6–व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

8–व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/ व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

9– उपयुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय 31–3–2006 तक सुनिश्चित कर लिया जाय तथा व्यय की गयी धनराशि का मदवार विवरण व उपयोगिता प्रमाण पत्र उपरोक्त तिथि तक शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

10– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसले कृषि कर्म–00–आयोजनागत 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–00–के अन्तर्गत संलग्नानुसार सुसंगत मानक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

11–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–259/वित्त अनु0–2/2005/दिनांक 6/6/2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
अपर सचिव।

संख्या–679/XVI/05/7(34)/05/तददिनांकः

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तरांचल,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा,देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/गोपेश्वर(चमोली)/नैनीताल।
3– वित्त अनुभाग–2,उत्तरांचल शासन।
4– राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर,देहरादून।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,उत्तरांचल।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(मनीषा पंवार)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या– /XVI/05/(31)/05 दिनांक का संलग्नक–2

अनुदान सं0–31
लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–
00–आयोजनागत
796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना
00–
(टी0एस0पी0 योजनायें)

(धनराशि रू0 हजार में)

क0सं0	योजना/मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	लेखानुदान के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली शेष धनराशि
1	09–सहकारी समितियों को रेशम विकास हेतु सहायता अनुदान			
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	100	0	100
2	10–जैविक रेशम विकास			
	02–मजदूरी	20	0	20
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	20	0	20
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	20	0	20
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	30	0	30
	44–प्रशिक्षण व्यय	10	0	10
	योग 10–	100	0	100
3	11–वृक्षारोपण विकास योजना			
	02–मजदूरी	15	0	15
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	15	0	15
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	70	0	70
	योग 11	100	0	100
4	12–केन्द्र पोषित कैटेलिटिक योजनायें			
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	160	0	160
5	16–रेशम उत्पादन प्रचार–प्रसार			
	02–मजदूरी	180	0	180
	08–कार्यालय व्यय	20	0	20
	19–विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	20	0	20
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	50	0	50
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	80	0	80
	योग 16	350	0	350
6	17–रेशम वस्त्र विकास योजना			
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	10	0	10
	42–अन्य व्यय	30	0	30
	44–प्रशिक्षण व्यय	10	0	10
	योग 17	50	0	50
7	18–रेशम प्रशिक्षण योजना			
	08–कार्यालय व्यय	10	0	10
	42–अन्य व्यय	15	0	15
	44–प्रशिक्षण व्यय	10	0	10
	योग 18	35	0	35
	कुल योग –	895	0	895

(रूपये आठ लाख पिच्चानबे हजार मात्र)

7/6/05

(मनीषा पंवार)
अपर सचिव।